20रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES Rs.20

103

माननीय राजस्व मण्डल एवं मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी ग्वालियर (म0प्र0)

निग/1031/II/15

313
12.8.15

म0प्र0 शासन द्वारा वरिष्ठ उप पंजीयक रीवा, जिला–रीवा म0प्र0

——— **पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक**

बनाम्

1– आयुक्त, नगर पालिक निगम रीवा, जिला–रीवा म0प्र0

2– जगदीश प्रसाद मिश्रा तनय वृन्दावन मिश्रा निवासी 24/877 द्वारिका नगर पी0टी0एस0 चौराहा के पास रीवा, जिला–रीवा म0प्र0

———**गैरपुनरीक्षणकर्ता/अनावेदकगण**

श्री उपपंजीयक रीवा एड द्वारा आज दिनांक 12.8.15 को प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

पुनरीक्षण विरुद्ध श्रीमान् न्यायालय कलेक्टर आफ रीवा म0प्र0 के प्रकरण क्र0–61/बी–103/14–15 में पारित आदेश दिनांक 03–07–2015 अंतर्गत धारा 56(4) भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899

मान्यवर,

<u>प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में निम्नानुसार है:–</u>

1– यह कि अनावेदक क्रमांक–1 द्वारा आवासीय एवं व्यवसायिक योजना क्रमांक–6 विवेकानन्द नगर रीवा के सरदार बल्लभभाई पटेल अंतर्राज्यीय बस स्टैण्ड रीवा में पी0पी0पी0 योजना के तहत् समदड़िया बिल्डर्स प्रा0लि0 जबलपुर म0प्र0 के द्वारा निर्मित फ्लैट क्रमांक–305 स्थित ब्लाक क्रमांक–1 तृतीय तल 948.27 वर्गफिट अनावेदक क्रमांक–2 को 30 वर्ष के लिये पट्टे पर दिया जाकर पट्टा विलेख दिनांक 01–05–2015 को मात्र 1000रुपये स्टाम्प शुल्क दिया

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 7031—दो / 15 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28.12.17	आवेदक के अधिवक्ता श्री राकेश कुमार मिश्रा उपस्थित होकर अनुरोध किया गया है कि वह प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहते हैं। अतः आवेदक अधिवक्ता के अनुरोध पर प्रकरण आगे नहीं चलाने के कारण प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। सदस्य	